

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(जिला योजना)

दिनांक 23.07.2019 को उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, DMFT, रामगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न DMFT प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति— पंजी के अनुसार

बैठक में उपस्थित DMFT प्रबंधकीय समिति के नामित सभी सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारियों / कार्यपालक अभियंताओं का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

DMFT अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं का बेहतर अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। योजनाओं के समीक्षोपरान्त समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :—

1. DMFT अन्तर्गत राशि की उपलब्धता

- DMFT अन्तर्गत संधारित बैंक खाता में उपलब्ध राशि एवं स्वीकृत योजनाओं में दायित्व (Liability) भुगतान पर चर्चा की गयी। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा बताया गया कि DMFT Notification के पूर्व Royalty के रूप में राशि जो DMFT अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं द्वारा जमा किया गया है, उसका सामंजन विभिन्न कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप अभी पर्याप्त राशि DMFT में नहीं जमा हो रहा है।
उन्हें निदेश दिया गया कि वर्षवार किस संस्था द्वारा कितना Royalty की राशि DMFT अन्तर्गत जमा किया गया है, उसकी विवरणी तैयार कर उपलब्ध करावें।
किस संस्थान का कितना Royalty जमा करना लम्बित है, उसकी भी सूची तैयार कर समायोजन एकमुश्त न करके किस्तों में करने हेतु खान सचिव को तत्संबंधी पत्र भेजने का निदेश जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को दिया गया, ताकि Liability भुगतान में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। इस संबंध में उपायुक्त, रामगढ़ के स्तर से खान सचिव, झारखण्ड सरकार को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को दिया गया।
- राशि की उपलब्धता को ध्यान रखते हुए DMFT अन्तर्गत पूर्व की स्वीकृत योजनाएँ, जिसका कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है, उसे तत्काल स्थगित रखने एवं कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश सभी कार्यकारी एजेन्सी को दिया गया।
- वर्षवार DMFT निधि अन्तर्गत प्राप्त राशि एवं स्वीकृत योजनाओं की प्राक्कलित का विवरणी तैयार करने हेतु जिला योजना पदाधिकारी, PMU (DMFT) एवं संबंधित नाजीर/सहायक को निदेश दिया गया।

2. अंकेक्षण कार्य

DMFT निधि का अंकेक्षण कार्य के संबंध में PMU द्वारा बताया गया कि वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का अंकेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 का अंकेक्षण कार्य चल रहा है। अंकेक्षण कार्य हेतु चयनित अंकेक्षक दल से शीघ्र अंकेक्षण कार्य पूरा कर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश जिला योजना पदाधिकारी, रामगढ़ को दिया गया।

3. योजनाओं का पूर्णत प्रमाण पत्र

DMFT अन्तर्गत जिन योजनाओं में शत-प्रतिशत राशि विमुक्त की गयी है, उसमें योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र, फोटोग्राफ, अन्तिम मापी एवं व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने तथा अभिलेख बन्द करके प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश सभी कार्यकारी एजेन्सियों को दिया गया।

4. PMKKKY Portal पर Data Upload करना

- DMFT अन्तर्गत योजनाओं एवं प्राप्त राशि से संबंधित सभी वांछित सूचनाएँ PMKKKY Portal पर Upload करते हुए अद्यतन करने हेतु Team Lead, PMU (DMFT) को निदेशित किया गया।
- One System App पर DMFT की सभी योजनाओं का Sanction Date एवं Complition Date में अपेक्षित सुधार कर अद्यतन करने का निदेश PMU (DMFT) को दिया गया।

5. नई योजनाओं का अनुमोदन

- DMFT अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं के अनुमोदन हेतु न्यास परिषद् की बैठक आहूत करने हेतु निदेश दिया गया। बैठक की सारी तैयारी करने तथा प्रस्तावित योजनाओं का वार्षिक कार्य-योजना तैयार करने हेतु PMU (DMFT) को निदेश दिया गया।
- मॉडल ऑनबाड़ी केन्द्रों का मरम्मति कार्य, PHC/CHC/ HSC में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालय बड़कीपोना में पेयजलापूर्ति की व्यवस्था निमित्त न्यास परिषद् की बैठक में अनुमोदन हेतु सभी आवश्यक कागजातों को संकलित करने एवं कार्य-योजना में शामिल करने हेतु PMU (DMFT) को निदेश दिया गया।

6. बिजुलिया तालाब का हस्तानान्तरण

DMFT मद से बिजुलिया तालाब का जीर्णोद्धार एवं सुन्दरीकरण कार्य पूरा होने के पश्चात् जिला मत्स्य पदाधिकारी, रामगढ़ को Hand Over करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

7. MTC Van का संचालन

MTC Van का पुनः संचालन हेतु सिविल सर्जन, रामगढ़ एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया।

अन्त में योजनाओं का कार्यान्वयन तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप ससमय पूरा करने के निदेश के साथ सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह० /-

उपायुक्त—सह—अध्यक्ष,
DMFT, रामगढ़।

ज्ञापांक ५८१ /जि०यो० रामगढ़ दिनांक २७.०७.२०१९

प्रतिलिपि:- PMU (DMFT) रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी कार्यपालक अभियंता, रामगढ़/जिला अभियंता, जिला परिषद्, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, रामगढ़ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त—सह—अध्यक्ष,
DMFT, रामगढ़।